

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधाएँ (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत
संसद सदस्य के प्रायिक निवास स्थान स्थित आवास पर टेलीफोन लगाने हेतु आवेदन-पत्र

दिनांक

प्रेषक

....., संसद सदस्य

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में,

अवर सचिव, (सदस्य सेवा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

महोदय,

कृपया मुझे आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत निम्नलिखित
विवरण के अनुसार नया टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाए* :-

(एक) फोन लगाए जाने का स्थान: मकान संख्या

कस्बा/ग्राम

तालुका/तहसील

जिला

राज्य

* (दो) निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम

*** (तीन) निकटतम एक्सचेंज से सड़क द्वारा अनुमानित दूरी

(चार) मेरे निर्वाचन क्षेत्र/स्थायी निवास अथवा कार्यालय में मेरे नाम पर पहले से ही लगाए गए किसी अन्य टेलीफोन का
विवरण

(पांच) * उपरोक्त स्थान मेरा प्रायिक निवास स्थान है/उस राज्य के भीतर स्थित है जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र है अथवा उस राज्य
के भीतर है जहाँ मैं रहता हूँ।

मैं उपर्युक्त टेलीफोन के संबंध में नियमों के अंतर्गत लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा देय भुगतान से अधिक
डाक-तार संबंधी पूरा बकाया का भुगतान करने का वचन देता हूँ।

भवदीय

(संसद सदस्य के हस्ताक्षर)

निर्वाचन क्षेत्र सं०

पहचान पत्र सं०

* जो लागू न हो उसे काट दें।

** दूरभाष केन्द्र का प्रचालन क्षेत्र 10 कि.मी. के घेरे के भीतर होता है।